विधानसभा / महत्वपूर्ण

संचालनालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

ब्लॉक–2, तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

(Telephone-0771-2511974, mail id- dirfood.cg@gov.in, website- https://fcs.cg.gov.in/)

क्रमांक 141 / संचा.–वि.स. / 2025 नवा रायपुर, दिनांक 01 / 07 / 2025

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषय :– विधानसभा प्रश्न क्रमांक 897 तारांकित द्वारा श्री इन्द्रशाह मंडावी, सदस्य विधानसभा की जानकारी उपलब्ध कराने बाबत्।

–000–

कृपया विषयांतर्गत विभाग से प्राप्त विधानसभा प्रश्न क्रमांक **897 तारांकित** की प्रति संलग्न है।

उपरोक्त विधानसभा प्रश्न का उत्तर **'यूनिकोड फॉन्ट'** में (परिशिष्टों की जानकारी भी 'यूनिकोट फॉन्ट' में) **दिनांक 03 / 07 / 2025 तक** ई–मेल (**dirfood.cg@gov.in**) के माध्यम से हार्ड कॉपी एवं साफ्ट कॉपी सहित अनिवार्य रूप से भिजवाने का कष्ट करें।

(विधानसभा प्रश्न विभागीय वेबसाईट से भी डाउनलोड कर सकते है)।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

सहायक संचालक
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण

पृ0 क्रमांक 142 / संचा.–वि.स. / 2025 नवा रायपुर, दिनांक 01 / 07 / 2025

प्रतिलिपि :–

समस्त खाद्य नियंत्रक / खाद्य अधिकारी, छत्तीसगढ़ की ओर प्रेषित कर, आदेशानुसार निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रश्न की जानकारी संचालनालय को निर्धारित समय–सीमा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

सहायक संचालक
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय
प्रश्न

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक : **11/07/2025**

वर्ग : 5 सदन में उत्तर देने का दिनांक : **18/07/2025** विभाग का नाम : **खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण**

विषय : **प्रदेश के जिलों में कार्यरत प्रभारी खाद्य अधिकारी**

(**तारांकित** प्रश्न क्रमांक : **897**) **श्रीइन्द्रशाह मंडावी**

क्या **खाद्य मंत्री** महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) खाद्य विभाग में कितने जिलों में नियमित खाद्य अधिकारी एवं कितने जिलों में प्रभारी खाद्य अधिकारी कार्यरत हैं ? (ख) क्या यह सही है कि जिला जांजगीर-चॉपा तथा सारंगढ़ जिला में पद क्रम में नीचे क्रम के सहायक खाद्य अधिकारी को प्रभारी खाद्य अधिकारी बनाया गया है ? (ग) यदि प्रश्नांश (ख) सही है तो सामान्य प्रशासन विभाग के किस नियम के तहत उक्त पदस्थापना आदेश जारी किया गया है तथा उपरोक्त अनियमितता का सुधार कब तक कर लिया जावेगा ? जानकारी देवें ? (घ) छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र, 2025 में अतारांकित प्रश्न संख्या 20 (क्रमांक 831), दिनांक 04/03/2025 में खाद्य मंत्री जी द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के स्थायी निर्देश क्रमांक 9-2/2011/1-3 रायपुर, दिनांक 4 अगस्त, 2011 के विपरीत राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची के ऊपर के अधिकारियों को बायपास करके कनिष्ठ सहायक खाद्य अधिकारी को खाद्य अधिकारी / खाद्य नियंत्रक का प्रभार देने में हुई त्रुटि के सुधार के आश्वासन पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? यदि कार्यवाही नहीं की गयी है, तो कब तक कार्यवाही पूर्ण कर ली जायेगी ? जानकारी देवें ?

Sent From : vidhan | **Sent Date :** 01/07/2025 11:26:02 |

Remark :

समस्त कलेक्टर
संचालनालय